आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

सेवा अपीलवाद सं0-88/2021

प्रयाग मांझी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

12.08.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश ज्ञापांक 1477/सा0, छपरा, दिनांक 04.10.2021 द्वारा अपीलकर्त्ता श्री प्रयाग मांझी, तत्कालीन चौकीदार, हल्का नं0. 8/15, थाना-छपरा मुफस्सिल, जिला-सारण को सेवा से बर्खास्त किए जाने के दण्ड के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है।

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि सारण जिले में एक संयुक्त केन्द्रीय टीम के नेतृत्व में अवैध शराब की बरामगी हेतु विशेष अभियान के तहत मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आसूचना संकलन कर घोष कालोनी, सॉढ़ा स्थित पानी भरे चौर एवं उमानगर चौर स्थित पानी से भरे पोखर के बीच स्थित टीला से देशी शराब, देशी शराब के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्री तथा शराब निर्माण से संबंधित उपकरण बरामद किए जाने पर मुफस्सिल थाना कांड सं0-525/20, दिनांक 28.11.2020 धारा 30(a)/36/41(I) **बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पादन अधिनियम, 2016** दर्ज कराते हुए आसूचना संकलन में बरती गयी उदासीनता, घोर लापरवाही, विफलता एवं निष्क्रियता के आरोप के कारण पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना (मद्यनिषेध प्रभाग) के पत्रांक 1456, दिनांक 22.12.2020 द्वारा अपीलकर्त्ता को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय, पुलिस केन्द्र, सारण निर्धारित किया गया। इसी क्रम में जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय, सारण के पत्रांक 516/सा0, दिनांक 24.03.2021 द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, सारण को संचालन पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष, छपरा मुफस्सिल को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, सारण, छपरा के पत्रांक 987, दिनांक 03.08.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लगाए गए आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्त्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित द्वितीय कारण-पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथासंशोधित 2007** के नियमों के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक 1477/सा0, छपरा, दिनांक 04.10.2021 द्वारा अपीलकर्त्ता को सरकारी सेवा से

बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया है।

जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलवाद इस स्तर पर दायर किया गया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध पारित आदेश Village Chaukidari Act, 1870 के धारा-166 में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नहीं है। अपीलकर्ता के विरूद्ध पारित आदेश में पुलिस अधीक्षक का मंतव्य प्राप्त नहीं किया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे कहा गया कि अपीलकर्ता महाल सं0-8/15 के चौकीदार है जबकि वर्णित घटना महाल सं0- 8/9 से संबंधित है, और ये दोनों महाल आपस से जुड़े नहीं है इनके बीच महाल सं0- 8/7, रामनगर महाल आता है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि उक्त से यह स्पष्ट है कि शराब आदि की बरामदगी अपीलकर्ता के कार्य क्षेत्र से बाहर हुई है। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि शराब की बरामदगी की तिथि दिनांक 28.11.2020 को बतायी जा रही है, जबकि अपीलकर्ता दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 02.12.2020 तक अपनी लड़की के शादी के प्रयोजन हेतु अवकाश पर रहें है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा पारित त्रुटियुक्त आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

4. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता श्री प्रयाग मांझी का महाल क्षेत्र 8/15, ग्राम-शिवनगरी, नेवाजी टोला रहा है। महाल क्षेत्र सं0-8/9 के देख-रेख की जिम्मेदारी मौखिक रूप से अपीलकर्त्ता को दी गयी थी। अपीलकर्त्ता द्वारा महाल क्षेत्र 8/9 में दारू चुआना, बनाने और बेचने की सूचना नही दी गयी थी। अपीलकर्त्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 02.12.2020 तक वे अवकाश पर थे परन्तु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 2090, दिनांक 09.07.2020 में प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलकर्त्ता का अवकाश आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाए जाने के आधार पर तथा द्वितीय स्पष्टीकरण प्राप्त कर ही उनके विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया है, जिसे यथावत रखा जा सकता है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि:-

(i) चौकीदार पद हेतु संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी नियंत्री पदाधिकारी होते है। अंचलाधिकारी द्वारा संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से चौकीदार को कार्य का आवंटित किया जाता है। ऐसी स्थिति में चौकीदार के विरूद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक से मंतव्य प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) अपीलकर्त्ता का यह दावा कि दिनांक 18.11.2020 से दिनांक 02.12.2020 तक वे अवकाश पर रहे है, की पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नही है।

(iii) अपीलकर्त्ता श्री प्रयाग मांझी को संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा महाल सं0-8/9 की देखभाल हेतु निदेशित किये जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता श्री प्रयाग मांझी के विरूद्ध अपने कार्यो में लापरवाही बरते जाने का आरोप प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के ज्ञापांक 1477/सा0, दिनांक 04.10.2021 द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए उसे यथावत रखा जाता है।

तदनुसार, प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।